संख्या:-01/2026/17ई-2/तेरह-2026-141378

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 06 जनवरी, 2026

विषय:-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि. यूनिट मनकापुर, गोण्डा आसवनी इकाई अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 160 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर अधिष्ठापित क्षमता 245 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा शेष क्षमता 105 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-66/दो-प्रा.डी.-102/मनकापुर आसवनी, दिनांक 27-11-2025 तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 02-01-2026 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:16ई-2/तेरह-2025-141378, दिनांक 06-01-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 27-11-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवॉ संशोधन) नियामवली, 2020 के क्रम में मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि. यूनिट मनकापुर, गोण्डा आसवनी इकाई की अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय अधिष्ठापित क्षमता 160 लाख लीटर वार्षिक को बढ़ाकर 245 लाख लीटर वार्षिक तथा शेष क्षमता 105 लाख लीटर वार्षिक औद्योगिक क्षमता निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) आसवनी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों /नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 01/2026/17(1)-2026-141378 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, आबकारी तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

(4) प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।